26/8/21 वकील प्रार्थी उपस्थित नहीं आये। पत्रावली में मूल दावा अदम हाजरी व अदम पैरवी में खारिज हो चुका है। मूल दावा खारिज होने से प्रार्थना-पत्र 212 IRACt में आगे चलाने का कोई औचित्य नहीं है। अतः पत्रावली की कार्यवाही भी इस स्तर पर खारिज की जाती है। पत्रावली जेरिये नम्बर से कम हो। बाद पूर्ति होकर मूल वाद के साथ संलग्न रहे।

सहायक कलक्टर
बानसूर (अलवर)